

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -- कठपतिया-गुडौली से दौला

तहसील-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 1.0350 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.1575 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कूल 1.1925 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावाहित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैनी, लमडा एवं दौला द्वारा दिनांक 12/11/05 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आरक्षित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उक्त वन भूमि ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/परमाणु पारित किया गया कि ग्राम नैनी, लमडा एवं दौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, मलाना चम
वि०ख०, कनालीछीना (पिथौरागढ़)

प्रमाणित

ग्राम पंचायत आणागोंब
वि०ख०, कनालीछीना (पिथौरागढ़)

ह०/-

ग्राम प्रधान

श्रीमती जानकी देवी (जिवित)

प्रमाण

ग्राम पंचायत-मलाना चम
विकास खण्ड-कनालीछीना, पिथौरागढ़

प्रमाणित

प्रधान

ग्राम पंचायत चौकी

वि०ख० कनालीछीना (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 12/11/05 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- नैनी, लमडा एवं दौला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जय सिंह चौधरी (कौटिल्य सिंह)	प्रा.स.
2	1. लाल सिंह चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	K. S. M.
3	जगदीश सिंह चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	प्रा.स.
4	कृष्ण सिंह चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	कृष्ण सिंह चौधरी
5	मनमोहन सिंह चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	प्रा.स.
6	हेम चंद चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	हेम चंद चौधरी
7	पारिवर्तक चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	पारिवर्तक चौधरी
8	सोमेश्वर चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	सोमेश्वर चौधरी
9	जगदीश चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	जगदीश चौधरी
10	मदन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मदन चौधरी
11	गोपी चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	गोपी चौधरी
12	हेम चंद चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	हेम चंद चौधरी
13	मोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मोहन चौधरी
14	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
15	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
16	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
17	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
18	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
19	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
20	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
21	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
22	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
23	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
24	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी
25	मनमोहन चौधरी 11. लाल सिंह चौधरी	मनमोहन चौधरी

ह0/-

ग्राम प्रधान

लाल सिंह चौधरी

श्रीमती जानकी देवी (जिवित)

प्रा.स.

ग्राम पंचायत-मन्दाज राम

विकास खण्ड-जालीवाल

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०) (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.0350 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.1575 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.1925 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 13/04 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जयभारत सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री जयभारत सिंह उप जिलाधिकारी — डीडीहाट — अध्यक्ष
- 2- श्री ~~रमेश~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी — डीडीहाट — सदस्य
- 3- श्री ~~अरुण~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी — डीडीहाट — सदस्य / सचिव
- 4- श्री ~~महेश~~ बी०डी०सी० क्षेत्र — डीडीहाट — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०) परियोजना हेतु 1.1925 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम राभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम राभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~रमेश~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन तब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम राभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान राभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत विकास खण्ड कनालीछीना के कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 1.1925 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सह-युक्त समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड डीडीहाट

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डीडीहाट
जनपद- पिथौरागढ़

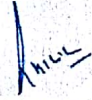
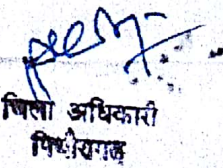
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डीडीहाट
जनपद- पिथौरागढ़

प्रपत्र--23.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 1. 1925 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति डीडीहाट. तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

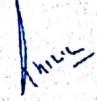
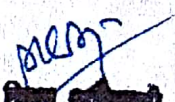

ह०/-
जिलाधिकारी

पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत विकास खण्ड कनालीछीना के कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 1.1925 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


ह० / 
जिलाधिकारी 

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.500 किमी० हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.500 किमी० (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.810 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.3825 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.1925 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील डीडिहाट) की दिनांक 6.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री. विनय भार्गव, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री. विनय भार्गव अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 2- श्री विनय भार्गव सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 3- श्री श्री. शशि शर्मा सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- श्री श्री. मन्जुला कुमारी सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र मन्जुला कुमारी।
- 5- श्री श्री. अमर कुमार सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र मन्जुला कुमारी।
- 6- श्री श्री. कमलेश आर्य सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र सरमोली।

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी०) परियोजना हेतु 1.1925 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया-गुडौली से दौला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.1925 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अध्यक्ष), पिथौरागढ़।

प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
(पिथौरागढ़)।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
(सदस्य/सचिव) अधिका
(पिथौरागढ़)।

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)
मन्जुला कुमारी
सदस्य जिला पंचायत
(01 सिदांग) धारचू
पिथौरागढ़

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
क्षेत्र मन्जुला कुमारी

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
क्षेत्र सरमोली
जिला पंचायत - सरमोली
मुनस्को, पिथौरागढ़

FROM -1
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAGARH

No.42.....

Dated...6.12.2013...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.1925** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for **Construction of Kathpatiya, Gudoli to Daula Moter Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdiction of **Naini, Lamda, Daula Villages in Kanalichhina Tahsils.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **1.1925** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consulation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official
seal of the District Collector)

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.1925 of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

27/1/18
अभिशासी अभियन्ता
विमाण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़